

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants Ministry of Coal for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 399/16/14)

(ii) Outcome Budget of the Ministry of Coal for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 400/16/14)

(iii) Outcome Budget of the Ministry of Power for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 401/16/14)

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Rural Electrification Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 402/16/14)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957:-

(i) S.O. 491(E) published in Gazette of India dated 20th February, 2014, specifying production of cement, syn-gas obtained through coal gasification (underground and surface) and coal liquefaction to be end uses for the purpose of the said Act.

(ii) S.O. 737(E) published in Gazette of India dated 11th March, 2014, amending the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules, 2012.

(iii) The Auction by Competitive Bidding of Coal Mines (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. S.O. 1074(E) in Gazette of India dated 11th April, 2014.

(iv) The Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules, 2012 published in Notification No. S.O. 207(E) in Gazette of India dated 2nd February, 2012.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (iv) of (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 403/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the RITES Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 404/16/14)

(ii) Memorandum of Understanding between the IRCON International Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 405/16/14)

(iii) Memorandum of Understanding between the Rail Vikas Nigam Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 406/16/14)

(iv) Memorandum of Understanding between the Konkan Railway Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 407/16/14)

(v) Memorandum of Understanding between the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 408/16/14)

(vi) Memorandum of Understanding between the Braithwaite and Company Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 409/16/14)

(vii) Memorandum of Understanding between the Railtel Corporation of India Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 410/16/14)

(viii) Memorandum of Understanding between the Bharat Wagon and Engineering Company Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 411/16/14)

(ix) Memorandum of Understanding between the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 412/16/14)

(x) Memorandum of Understanding between the Container Corporation of India Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 413/16/14)

(xi) Memorandum of Understanding between the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 414/16/14)

(xii) Memorandum of Understanding between the Burn Standard Company Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 415/16/14)

(xiii) Memorandum of Understanding between the Indian Railway Finance Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 416/16/14)

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Wagon and Engineering Company Limited, Patna, for the year 2012-2013.
- (ii) Annual Report of the Bharat Wagon and Engineering Company Limited, Patna, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 417/16/14)

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Braithwaite and Company Limited, Kolkata, for the year 2012-2013.
- (ii) Annual Report of the Braithwaite and Company Limited, Kolkata, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (3) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 418/16/14)

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमसंख्या 4 पर श्री कृष्णपाल गुर्जर जी की ओर से अंकित विवरण को सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2014-2015 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(Placed in Library, See No. LT 419/16/14)

- (दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 420/16/14)

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) का.आ. 206(अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का.आ. 207(अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का.आ. 263(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 910(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का.आ. 264(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) का.आ. 483(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छठ) का.आ. 484(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य के राजमार्ग संख्या 50 (खेड-सिन्नेर खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (सात) का.आ. 485(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डववाली (हरियाणा/पंजाब सीमा)) के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (आठ) का.आ. 486(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

- (अठारहस) का.आ. 674(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1521(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनतीस) का.आ. 675(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीस) का.आ. 676(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इकतीस) का.आ. 1089(अ) जो 15 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।
- (बत्तीस) का.आ. 1220(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3049(अ) और 25 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3245(अ) का निरसन किया गया है।
- (तेतीस) का.आ. 1221(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौतीस) का.आ. 1222(अ) और का.आ. 1223(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पैंतीस) का.आ. 1392(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छत्तीस) का.आ. 1393(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1521(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सैंतीस) का.आ. 1394(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अड़तीस) का.आ. 1395(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (उनतालीस) का.आ. 1396(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चालीस) का.आ. 2199(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तिरुती-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतालीस) का.आ. 1703(अ) जो 17 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 मार्च, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 608(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बयालीस) का.आ. 3021(अ) जो 4 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तिरुती-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेतालीस) का.आ. 1282(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45न (विक्रमवडी-कुम्बकोनम-तंजापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चवालीस) का.आ. 2941(अ) जो 30 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में

- प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपासों सहित) (तिरुती-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैतालीस) का.आ. 3260(अ) जो 28 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अतिपल्ली-कृष्णामिरि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियालीस) का.आ. 3079(अ) जो 9 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैतालीस) का.आ. 3116(अ) जो 17 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तालीस) का.आ. 2569(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनवास) का.आ. 3262(अ) जो 28 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागपट्टिनम-तंजापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पवास) का.आ. 2794(अ) जो 24 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तिरुती-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(Placed in Library, See No. LT 421/16/14)

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 422/16/14)

- (दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 423/16/14)

(6) वाणिज्य पोत परिवहन निगम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (सागरनामियों की भर्ती तथा नियोजन) संशोधन नियम, 2014 जो 20 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 33(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 424/16/14)